पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-352
दिनांक-07.02.2025

जोन- उत्तरी/ थाना-बीकेटी लखनऊ

ब्लाइंड मर्डर केसः- घटना का किया गया सफल अनावरण।

- **घटना कारित करने वाले 04 शातिर अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।**
- **अभियुक्तगणों द्वारा किराना स्टोर में चोरी करने के उद्देश्य से गये, किन्तु अंकित वर्मा (मृतक) द्वारा विरोध किया गया जिस पर अभियुक्तगणों द्वारा मिलकर उसकी हत्या कारित की गयी।**
- **क्राइम/सर्विलांस टीम (डीसीपी उत्तरी) व थाना बी0के0टी0 की संयुक्त पुलिस टीम की सफलता।**

01-सक्षिप्त विवरणः-

थाना बीकेटी पुलिस को दिनांक 10.01.2025 को समय 06.00 बजे प्रातः सूचना मिली की मौर्या जनरल स्टोर सीतापुर लखनऊ हाईवे वहद ग्राम सिरसा कमालपुर में एक व्यक्ति जिसके हाथ पैर पीछे बंधे हैं मृत अवस्था में पड़ा है। सूचना पर थाना बीकेटी पुलिस मौके पर पहुंचकर मृतक की स्थिति और आसपास के हालात का विश्लेषणकर घटनास्थल को सुरक्षित कर निरीक्षण किया गया,तथा मृतक की पहचान की पुष्टि कर पंचायतनामा की कार्यवाही कर पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया था जिसके संबंध में दिनांक 10.01.2024 को वादिनी अनीता वर्मा पत्नी स्व0 नन्द किशोरनिवासी ग्राम कमालपुर सिरसा थाना थाना बीकेटी लखनऊ द्वारा उनके भाई मृतक अंकित वर्मा की 09/10.01.2025 की रात को अज्ञात व्यक्ति द्वारा हत्या कर दिये जाने के संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 016/2025 धारा 103(1) BNS पंजीकृत कराया गया था।

उक्त घटना को पुलिस उपायुक्त उत्तरी महोदय द्वारा त्वरित अनावरण हेतु स्वयं के नेतृत्व में पुलिस टीमे गठित की गयी , थाना स्थानीय की पुलिस टीम व क्राइम/सर्विलांस टीम डीसीपी उत्तरी द्वारा उक्त घटना का सफल अनावरण करते हुये आज दिनांक 07.02.2025 को दुर्जनपुर कट किसान पथ पर मौजूद 04 अभियुक्तगण को समय 02.45 बजे हिरासत में लिया गया।

पूछताछ में अभियुक्तणों द्वारा बताया गया कि संग्राम रावत पुत्र बंसत लाल को योजना के अनुसार वह सीतापुर रोड ग्राम कमालपुर सिरसा लखनऊ स्थित मौर्या जनरल स्टोर पर चोरी के उद्देश्य से गये थे वहां पर एक व्यक्ति टीन शेड के नीचे सो रहा था। उसके जागने व शोर मचाने पर हम सभी लोगों द्वारा उसकी हत्या कर दिया तथा संग्राम व आकाश द्वारा उस व्यक्ति को उसके ओढ़े साल से हाथ पैर पीछे की ओर कर बाँध दिया था। कोई हम लोगों को देख न ले इसलिए हम लोग चोरी किये बिना पीछे से रेलवे लाइन के किनारे कमालपुर सिरसा होते हुए चले गये ।

दौराने गिरफ्तारी/निगरानी व बरामदगी माननीय सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के आदेशों/निर्देशों का अक्षरशः पालन किया गया तथा ई0 रिक्शा सं0 UP32VN 7174 के कागजात न दिखाने के कारण ई0 रिक्शा को अन्तर्गत धारा 207 एमवीएक्ट में सीज किया गया। विधिक कार्यवाही पूर्ण कर अभियुक्तगणों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। आपराधिक इतिहास के सम्बन्ध में अन्य थाना व जनपद से जानकारी की जा रही है।

02-अपराध का उद्देश्य:-

अभियुक्तगणों द्वारा मौर्या जनरल स्टोर सीतापुर लखनऊ हाईवे ग्राम सिरसा कमालपुर में चोरी के उद्देश्य से आये थे, किराना स्टोर के सामने टीन शेड में मृतक अंकित वर्मा तख्त पर लेटा हुआ था जैसे ही टीन शेड अभियुक्त गण पहुंचे तो मृतक अंकित वर्मा जग गया। अंकित वर्मा (मृतक) द्वारा विरोध करने व अभियुक्तगणों के पहचाने व पकड़े जाने के डर से एक साथ मिलकर उसकीहत्या कारित की गयी।

03-गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण—

1. आकाश रावत पुत्र स्वामी निवासी ग्राम आधारखेड़ा थाना गुडम्बा जनपद लखनऊ उम्र करीब 22 वर्ष(व्यवसाय- मजदूरी)।
2. कुनाल गुप्ता पुत्र लखनऊ गुप्ता निवासी बसहा थाना गुडम्बा जनपद लखनऊ उम्र करीब 22(व्यवसाय- कुक का काम करता है)।
3. उमेश गौतम पुत्र दौलतराम गौतम निवासी ग्राम बसाह थाना गुडम्बा जनपद लखनऊ उम्र करीब 18 वर्ष (व्यवसाय- पीओपी का कार्य)।
4. राजू नाग पुत्र मनोज चौरसिया निवासी ग्राम मिश्रपुर थाना गुडम्बा जनपद लखनऊ उम्र करीब 19 वर्ष (ई रिक्शा चालक)।

04.वांछित अभियुक्त -

01-संग्राम रावत पुत्र बंसत लाल निवासी ग्राम आधारखेड़ा थाना गुडम्बा जनपद लखनऊ (अभियुक्त संग्राम रावत जनपद बाराबंकी के मु0अ0सं0 017/2025 धारा 137(2), 87 बीएनएस थाना मसौली के अभियोग में जिला कारागार बाराबंकी में निरूद्ध है।)

05.आपराधिक इतिहास-

➢ **आकाश रावत पुत्र स्वामी निवासी ग्राम आधारखेड़ा थाना गुडम्बा जनपद लखनऊ**

1.मु0अ0सं0 0799/2023 धारा 380, 411, 457 भादवि थाना देवा जनपद बाराबंकी

2 .मु0अ0सं0 0745/2023 धारा 380, 411, 457, 506 भादवि थाना देवा जनपद बाराबंकी

3. मु0अ0सं0 033/2024 धारा 380, 411, 457 भादवि थाना गुडम्बा जनपद लखनऊ

➢ **कुनाल गुप्ता पुत्र लखनऊ गुप्ता निवासी बसहा थाना गुडम्बा जनपद लखनऊ**

1.मु0अ0सं0 0799/2023 धारा 380, 411, 457 भादवि थाना देवा जनपद बाराबंकी

2.मु0अ0सं0 0745/2023 धारा 380, 411, 457, 506 भादवि थाना देवा जनपद बाराबंकी

➢ **संग्राम रावत पुत्र बंसत लाल निवासी ग्राम आधारखेड़ा थाना गुडम्बा जनपद लखनऊ**

1.मु0अ0सं0 0365/2024 धारा 137(2),351(3),65(2),87 बीएनएस व 3, 4(2) पाक्सो एक्ट थाना मसौली जनपद बाराबंकी

2.मु0अ0सं0 017/2025 धारा 137(2), 87 बीएनएस थाना मसौली जनपद बाराबंकी

3.मु0अ0सं0 0256/2024 धारा 137(2), 87 बीएनएस एक्ट थाना मसौली जनपद बाराबंकी

4.मु0अ0सं0 0923/2023 धारा 3,25 आर्म्स एक्ट थाना देवा जनपद बाराबंकी

5.मु0अ0सं0 0799/2023 धारा 380, 411, 457 भादवि थाना देवा जनपद बाराबंकी

6.मु0अ0सं0 0745/2023 धारा 380, 411, 457, 506 भादवि थाना देवा जनपद बाराबंकी

7.मु0अ0सं0 135/2023 धारा 380, 411 भादवि थाना गुडम्बा जनपद लखनऊ

8.मु0अ0सं0 137/2023 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना गुडम्बा जनपद लखनऊ

06-बरामदगी:-

- ➢ 01 अदद ई रिक्शा (एमवी एक्ट में सीज)।

05. गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

पुलिस टीम थाना मड़ियांव:-	**क्राइम/सर्विलांस टीम (श्रीमान पुलिस उपायुक्त उत्तरी)**
1. प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार सिंह थाना बी0के0टी0 2. निरीक्षक कैलाश चन्द्र दुबे 3. उ0नि0 श्री सुरेश राजपूत 4. उ0नि0 श्री अशोक कुमार यादव 5. उ0नि0 श्री शैलेंद्र मिश्रा 6. उ0नि0 श्री विकास सिंह 7. उ0नि0 श्री अभिमन्यु शाह 8. उ0नि0 श्री विपीन कुमार उपाध्याय 9. हे0का0 आशीष सिंह 10. का0 अम्ब्रीश सिंह 11. का0 दिलीप कुमार 12. का0 सुरजीत सिंह	1.उ0नि0 विश्वनाथ प्रताप सिंह (प्रभारी क्राइम/सर्विलांस टीम डीसीपी उत्तरी) 2.हे0का0 नदीम 3.हे0का0 आजम 4. हे0का0 संतोष कुमार 5. हे0का0 अमित कुमार गौतम 6.का0 विशेष दुहुण

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस-नोट सं0-355
दिनांक-07.02.2025

जोन-मध्य/ थाना-हजरतगंज

नमक घोटाले का मुख्य आरोपी कलीम अहमद गिरफ्तार

- **वर्षों से फरार चल रहे नमक घोटाले के मुख्य आरोपी कलीम अहमद को सेंट्रल जोन पुलिस ने जयपुर से गिरफ्तार कर लिया**
- **सरकारी टेंडर दिलाने के नाम पर आरोपी ने ₹6.06 करोड़ की ठगी कर फर्जी दस्तावेज थमा दिए और पैसे मांगने पर धमकी दी**
- **खुद को सरकारी अधिकारी बताने वाला यह ठग बार-बार ठिकाने बदलकर पुलिस से बच रहा था, लेकिन सर्विलांस टीम ने जयपुर में धर दबोचा**
- **पुलिस के अनुसार, कलीम अहमद और उसके साथी बड़े व्यापारियों को झांसे में लेकर करोड़ों की ठगी करने में माहिर थे**

01-संक्षिप्त विवरण

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ के सेंट्रल जोन के थाना हजरतगंज पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए नमक घोटाले के मुख्य आरोपी कलीम अहमद को राजस्थान के जयपुर से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर ₹10,000 का इनाम घोषित था और वह कई वर्षों से फरार चल रहा था। वर्ष 2020 में अहमदाबाद के नीलम नरेंद्र भाई पटेल ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि सरकारी आपूर्ति विभाग में नमक का टेंडर दिलाने के नाम पर कलीम अहमद और उसके साथियों ने ₹6.06 करोड़ की ठगी की थी। आरोपी ने शासन के अधिकारियों के फर्जी हस्ताक्षरयुक्त दस्तावेज तैयार कर पीड़ित को नकली टेंडर दिया और जब पैसे वापस मांगे गए, तो धमकी दी गई। हजरतगंज पुलिस और सर्विलांस टीम की मदद से आरोपी को 6 फरवरी को गिरफ्तार किया गया।

घटनाक्रम अगस्त 2020 का है, जब अहमदाबाद, गुजरात निवासी नीलम नरेंद्र भाई पटेल ने लखनऊ के हजरतगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। पीड़ित के अनुसार, सरकारी आपूर्ति विभाग में नमक का टेंडर दिलाने के नाम पर कलीम अहमद और उसके साथियों ने ₹6.06 करोड़ की ठगी की थी। आरोपी और उसके साथियों ने खुद को सरकारी अधिकारी बताकर पीड़ित को भरोसे में लिया और शासन के अधिकारियों के फर्जी हस्ताक्षरयुक्त दस्तावेज तैयार कर नकली टेंडर दिया। जब पीड़ित ने अपने पैसे वापस मांगे, तो उसे धमकी दी गई। मामले की जांच के दौरान पुलिस ने कई अन्य आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन मुख्य आरोपी कलीम अहमद पुलिस से बचने के लिए बार-बार अपना ठिकाना बदल रहा था।

कलीम अहमद और उसके साथी पेशेवर ठग हैं, जो बड़े व्यापारियों को सरकारी विभागों में टेंडर दिलाने का झांसा देकर करोड़ों रुपये की ठगी करते थे। वे खुद को उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारी बताकर शिकार को भरोसे में लेते, टेंडर के नाम पर करोड़ों रुपये वसूलते और फिर फर्जी दस्तावेज थमा कर फरार हो जाते थे। पुलिस के अनुसार, यह गैंग लंबे समय से सक्रिय था और कई राज्यों में इसी तरह की ठगी को अंजाम दे चुका है। पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर रही है, जिससे और भी बड़े खुलासे होने की संभावना है।

इसके अलावा, कलीम अहमद का नाम लखनऊ में दर्ज एक अन्य घोटाले, पशुधन घोटाले में भी सामने आ चुका है। इस घोटाले में आरोपी के साथ सुनील गुर्जर और आशीष राय भी शामिल थे, जिनके खिलाफ हजरतगंज थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। यह मामला भी करोड़ों रुपये की ठगी से जुड़ा है और पुलिस इसकी भी गहराई से जांच कर रही है। फिलहाल, पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि इस गैंग के अन्य सदस्य और कौन-कौन हैं और उन्होंने किन-किन राज्यों में इसी तरह की ठगी को अंजाम दिया है। पुलिस को उम्मीद है कि इस गिरफ्तारी के बाद अन्य पीड़ित भी सामने आएंगे और मामले में और भी बड़े खुलासे होंगे।

02-गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता व व्यवसाय-

1.कलीम अहमद पुत्र शब्बीर अहमद निवासी प्लाट नं0 33/34 रामनगर शापिंग सेन्टर (कावटिया सर्किल के पास) शास्त्रीनगर, थाना भट्टावस्ती जयपुर, राजस्थान

03-अपराधिक इतिहास-

01-मु0अ0सं0 215/2020 धारा 419/420/467/468/471/120बी/506 भादवि0 7/13 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम थाना हजरतगंज लखनऊ

04-गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना हजरतगंज- उ0नि0 अंकित बालियान, चौकी प्रभारी तुलसी, उ0नि0 रविकान्त, का0 बलवन्त कुमार

05-सर्विलांस सेल,डीसीपी मध्य-

उ0नि0 अभिनेन्द्र सिंह, प्रभारी सर्विलांस सेल, का0 गोविन्द सिंह शामिल रहे।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट-सं0 351
दिनांक-07.02.2025

जोन-दक्षिणी/ थाना-मोहनलालगंज

महाकुम्भ से भटकी महिला को सकुशल उसके घर भेजा गया।

दिनांक 06/02/2025 को थाना मोहनलालगंज में एक वृद्ध महिला उम्र करीब 65 वर्ष भटक रही थी जिसको पिंक बूथ पर नियुक्त महिला आरक्षी द्वारा बुलाकर नाम पूछा गया तो वह अपना नाम प्रेमवती बतायी तथा गांव का नाम डाबर बतायी। इसके अतिरिक्त वह कुछ नहीं बता पा रही थी।

मोहनलालगंज पुलिस द्वारा सी-प्लान ऐप पर ग्राम डाबर सर्च करने पर पाया गया कि उक्त गांव जनपद आगरा में स्थित है जहां पर वृद्ध महिला की रिश्तेदारी थी। वहां के सम्भ्रांत व्यक्तियों का मोबाइल नम्बर प्राप्त किया गया तथा वृद्ध महिला की फोटो दिखायी गयी जिसके क्रम में गजेन्द्र सिंह नाम के व्यक्ति द्वारा फोन पर बताया गया कि उक्त वृद्ध महिला का नाम प्रेमवती पत्नी भीम सिंह निवासी छोकरवाड़ा थाना खेलीमोड जिला भरतपुर राजस्थान है। **वह प्रयागराज में कुंभ स्नान करने गई थी जहां से रास्ता भटक गयी थी** तथा महिला के परिजनों द्वारा उसकी खोजबीन की जा रही है।

जिसके पश्चात वृद्ध महिला के पुत्र हरवीर सिंह का मोबाइल नम्बर प्राप्त किया गया तथा उसके पुत्र से बातचीत की गयी तथा वृद्ध महिला को उच्चाधिकारीगणों के निर्देश के क्रम में राजस्थान की बस में बैठा कर सकुशल भेजा गया।

आज सुबह उक्त वृद्ध महिला अपने घर पहुंच गयी। जिसके पश्चात वृद्ध महिला के पुत्र द्वारा महिला के साथ सेल्फी लेकर पुलिस को भेजा गया व लखनऊ पुलिस का आभार प्रकट किया गया।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0- 356
दिनांक-07.02.2025

जोन-दक्षिणी/ थाना-मोहनलालगंज

- **01 नफर वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

01-सक्षिप्त विवरण-

मा0 न्यायालय ए0सी0जे0एम0 तृतीय कक्ष सं0- 27 लखनऊ महोदय द्वारा निर्गत गिरफ्तारी आदेश सम्बन्धित वाद सं0-2763/99, अ0सं0-276/97 धारा 279/304-A भादवि थाना मोहनलालगंज से सम्बन्धित अभियुक्त शीतला प्रसाद पुत्र बैजू चमार निवासी अनैइया थाना नगराम जनपद लखनऊ की गिरफ्तारी के प्रयास किया जा रहे थे अभि0 फरार चल रहा था। आज दिनांक 07/02/24 को मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त के घर पर दबिस दी गयी अभियुक्त घर पर मौजूद मिला जिसे नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया जा रहा है।

02- अपराध का तरीका:-

अभियुक्त द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष नियत तिथि पर उपस्थित न होने पर मा0 न्यायालय द्वारा गैर जमानतीय वारण्ट जारी किया गया।

03-सम्बन्धित अभियोग/वाद-

01-वाद सं0-2763/99, अ0सं0-276/97 धारा 279/304-A भादवि थाना मोहनलालगंज

04-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01-शीतला प्रसाद पुत्र बैजू चमार निवासी अनैइया थाना नगराम जनपद लखनऊ उम्र करीब 50 वर

05-गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम -

1. उ0नि0 श्री चन्द्रबहादुर यादव
2. का0 अरुण सिंह

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट

दिनांक 07.02.2025

जोन- दक्षिणी/ थाना- सरोजनीनगर

- **नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को अपने सह-अभियुक्त के साथ किया गया गिरफ्तार।**

01-सक्षिप्त विवरण -

दिनांक 06.02.2025 को वादी मुकदमा ने थाना स्थानीय पर तहरीर दी कि दिनांक 02.02.2025 को सुबह 09.00 बजे, सावेज पुत्र लियाकत निवासी महतवाना संडीला जनपद हरदोई हाल पता- मो0 शाहिद का मकान बद्रीनगर जामा मस्जिद सरोजनीनगर लखनऊ के द्वारा आवेदक की नाबालिग पुत्री उम्र 6 वर्ष को अपने बहनोई मोहम्मद शाहिद के मकान मे ले जाकर जबरदस्ती दुष्कर्म किया गया है। प्राप्त तहरीरी सूचना के आधार पर तत्काल मु0अ0सं0 44-25 धारा 65(2) बीएनएस व 5m/6 पाक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया।

विवेचना वरि0उ0नि0 श्री हरद्वारी लाल को सुपुर्द की गयी । दौराने विवेचना, अन्य साक्ष्य संकलन से मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्त मो0 शाहिद पुत्र मोहम्मद सिद्दीकी व हीना परवीन पत्नी मो0 शाहिद निवासी जामा मस्जिद के पास बद्रीनगर नादरगंज थाना सरोजनीनगर लखनऊ की अपराध मे संलिप्तता पाये जाने के कारण नाम प्रकाश मे आया तथा उक्त अभियोग मे धारा 61(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी। आज दिनांक 07.02.2025 को मुखविर खास की सूचना से अभियुक्तगण सावेज व मोहम्मद शाहिद उपरोक्त को गिरफ्तार करने मे महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की गयी। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

02-अपराध का तरीका-

अभियुक्त साबेज उपरोक्त द्वारा वादी की पुत्री उम्र करीब 6 वर्ष को खेलते समय बेर खिलाने के बहाने से अपने बहनोई के घर पर ले जाना व उसके साथ जबरन दुष्कर्म करना तथा अभियुक्त के जीजा मो0 शाहिद व बहन हीना परवीन द्वारा अपराध में सहायता कर अभियुक्त को भगा देना ।

03-गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण—

1. सावेज पुत्र लियाकत निवासी महतवाना संडीला जनपद हरदोई हाल पता – मो0 शाहीद का मकान बद्रीनगर जामा मस्जिद सरोजनीनगर लखनऊ उम्र करीब 25 वर्ष ।
2. मो0 शाहिद पुत्र मोहम्मद सिद्दीकी निवासी जामा मस्जिद के पास बद्रीनगर नादरगंज थाना सरोजनीनगर लखनऊ उम्र करीब 38 वर्ष ।

04- पंजीकृत अभियोग -

1. मु0अ0सं0 0044/2025 धारा 65(2)/ 61(2) बीएनएस व 5एम/6 पाक्सो एक्ट थाना सरोजनीनगर लखनऊ ।

05- व्यवसाय-

01-सावेज हार्डवेयर(एल्युमिनियम) का काम करता है ।

02-मोहम्मद शाहिद पेशे से डाक्टर है ।

06-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना सरोजनीनगर पुलिस टीम,जोन दक्षिणी कमिश्नरेट, लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0 354

दिनांक 07.02.2025

जोन- दक्षिणी/ थाना- सुशान्त गोल्फ सिटी

- **वादिनी के साथ छेडखानी करने, मना करने पर पिस्टल लगाकर धमकी देने वाले 01 नफर शातिर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**
- **घटना में शामिल 01 अदद अवैध पिस्टल 0.32 बोर मय 02 अदद जिन्दा कारतूस बरामद।**

01-संक्षिप्त विवरण-

मुकदमा वादिनी के द्वारा थाना स्थानीय पर अंकुर सिंह उर्फ मनू पुत्र अरूण कुमार सिंह निवासी हालपता सी 503, पैराडाइस क्रिस्टल थाना सुशान्तगोल्फ सिटी, लखनऊ द्वारा वादिनी के साथ छेड़खानी करने तथा मना करने पर पिस्टल लगाकर धमकी दिये जाने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 67/25 धारा 74/351(3) बीएनएस पंजीकृत किया गया था।

विवेचना के क्रम में अंकुर सिंह उर्फ मनू उपरोक्त को पूछतांछ हेतु पर सुशान्त गोल्फ सिटी पर बुलाया गया तथा पूछताछ के क्रम मे घटना मे वादिनी के द्वारा लगाए गये आरोप की पुष्टी हेतु नामित अभियुक्त अंकुर सिंह उपरोक्त घटना मे प्रयुक्त असलेह के बारे में पूछा गया। तो बताया कि मैने वो पिस्टल बड़ी रोटरी के पास खाली व सुनसान स्थान के पास छिपा दिया है।

तत्पश्चात पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त अंकुर सिंह उर्फ मनू उपरोक्त के बताए हुए स्थान पर स्थित झाड़ी के पास से एक अदद पिस्टल जो कि एक पन्नी मे लपेटी हुई थी को निकालकर बरामद किया । बरामद पिस्टल का अवलोकन करते हुये मैगजीन को सुरक्षित निकाल कर चैम्बर को चेक किया गया तो मैगजीन में से 02 अदद जिंदा कारतूस भी बरामद किये गये । उपरोक्त को अवैध पिस्टल रखने के लिए जुर्म धारा 3/25 आर्म्स एक्ट की बढोत्तरी करते हुये अभियुक्त अंकुर सिंह उर्फ मनू उपरोक्त को थाना स्थानीय से रात्रि 02.35 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया ।

02-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण—

1. अंकुर सिंह उर्फ मनू पुत्र अरूण कुमार सिंह निवासी हालपता सी-503, पैराडाइस क्रिस्टल थाना सु0गो0सिटी लखनऊ मूलपता- पोस्ट सकटपुर थाना सदर, जनपद हरदोई उम्र लगभग 25 वर्ष

03-अनावरित अभियोग-

1.मु0अ0सं0 67/25 धारा 74/351(3) बीएनएस 3/25 A ACT थाना सुशान्त गोल्फ सिटी लखनऊ ।